भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों क स्थाईकरण

3552. **श्री राम विलास पासवान**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किए गए श्रेणी-एक राजपत्रित कर्मचारियों (केन्द्रीय सेवा) को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उन के ग्रेड में स्थायी कर दिया जाता है यदि उन की परिवीक्षा अवधि को अन्यथा आगे न बढ़ाया गया हो;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों को उन की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर आठ वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद भी अस्थायी नहीं किया जाता है; और

(ग) क्या उपर्युक्त संदर्भ में 16 मार्च, 1979 की अधिसूचना को रद्द कर दिया जायेगा और भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों को उन की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के तत्काल बाद स्थायी कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगन्द्र मकवाणा):

(क) केन्द्रीय सेवाओं के कनिष्ट समूह "क" (श्रेणी-1) ग्रेड में सीधी भर्ती स्थायी तथा अस्थायी दोनों ही प्रकार की रिक्तियों पर जाती है । स्थायी रिक्तियों पर सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को अपनी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने ही ग्रेड में स्थायी कर दिया जाता है । आरम्भिक रूप में अस्थायी रिक्तियों पर भर्ती किए गए अधिकारियों को जब भी स्थायी रिक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं उस ग्रेड में स्थायी कर दिया जाता है बशर्ते कि वे ऐसे स्थायीकरण के लिये उपयुक्त पाए जाएं ।

(ख) चूंकि भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शुरू में नियुक्तियां अस्थायी रिक्तियों पर की जाती हैं इसलिए स्थायीकरण केवल तभी किया जाता है जब स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Fire in Cement Corp. of India premises

3553. SHRI MEHMOOD HASSAN KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there was an outbreak of fire in the present premises of the Cement Corporation of India in May, 1979;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the Corporation decided to shift its offices in haste when the building was not ready for occupation; and

(d) the reasons for hurried shifting of its offices by the Corporation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) Yes, Sir.

(b) The cause of the fire could not be established.

(c) The Offices of the Corporation shifted to the new premises after getting these altered to suit occupation.

(d) Does not arise.

Increase in Establishment Expenses of Cement Corporation of India

3554. SHRI MEHMOOD HASSAN KHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there has been a phenomenal increase in the establishment expenses of Cement Corporation of India after October, 1978; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) There has been increase in the establishment expenses in the years 1978-79 and 1979-80 over the previous years.

(b) The restructuring of the organisational frame-work by the Corporation to achieve better operational efficiency and management and taking up design and engineering work in respect of few of its projects which used to be entrusted to other organisations are among the main reasons for the increase in its establishment expenditure.